संख्या:149/2026/1073/आठ-1-26-1733460

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2026

विषयः- वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोप-वे के कैण्ट रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित स्टेशन एवं टावर्स के एलाइमेंट में आने वाली रेलवे की यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनरीक्षित परियोजना की अवशेष धनराशि (वित्तीय वर्ष 2026-27) की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के पत्र संख्या-1157/वि0प्रा0/नि0/2026-27, दिनांक 01-09-2026 तथा शासनादेश संख्या-55/2023/684/आठ-1-23-392/2023, दिनांक 29 अगस्त, **2023**, पत्र संख्या-77/2023/1065/आठ-1-23-392/2023, दिनांक 18 दिसम्बर, **2023**, पत्र संख्या-41/2024/219/आठ-1-24-392/2024, दिनांक 22 मार्च, **2024** एवं संख्या-66/2024/563/आठ-1-24-1733460, दिनांक 17 सितम्बर, **2024** एवं संख्या-71/2024/725/003 रोप-वे, दिनांक 17 सितम्बर, **2024** के क्रम में **वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोप-वे के कैण्ट रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित स्टेशन एवं टावर्स के एलाइमेंट में आने वाली रेलवे की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु प्रायोजना की पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत रू0 1901.24 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 192.03 लाख** (रूपये एक करोड़ बानवे लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृत से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग एवं वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(10) वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**4/2024**/बी-**1-607**/दस-**2024-231/2024**, दिनांक **19** जून, **2024** में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि0, वाराणसी होगी। कार्यदायी संस्था/वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, तथा इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(13) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 आंकलित की गयी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाए।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरादायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि या सड़कों पर कोई भी उत्खनन करने से पूर्व **CBuD** एप पर अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराया जाना होगा।

(17) वाराणसी विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा एक्टिविटी विवरण को प्रत्येक माह सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(18) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि0, वाराणसी को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 19203000.00 (रूपये एक करोड़ बानवे लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 002 लेखा शीर्षक 4217608000800 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेतु मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या : 149/2026/1073(1)/आठ-1-26-1733460, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को अब तक अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।

2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को अब तक अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।

3. मण्डलायुक्त, वाराणसी।

4. जिलाधिकारी, वाराणसी।

5. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।

11. सचिव/वित्त नियंत्रक, वाराणसी विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यदायी संस्था-नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि0, वाराणसी का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 **ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।

12. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि0, वाराणसी।

13. उप सचिव, लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in